फोन : 0135 2621669, फैक्स : 0135 2620933, e mail: director.rajaji@gmail.com
कार्यालय, निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.
5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001.

RAJAJI TIGER RESERVE राजाजी टाईगर रिज़र्व

पत्रांक 452 /12-1 दिनांक, देहरादून 31 जुलाई 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी/
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में बसाने हेतु 2.4 है0 भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (FP/UK/REHAB/40824/2019)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0 8बी./यू0सी0पी0/09/193/2019/एफ0सी0/1999 दिनांक 10.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव संख्या–FP/UK/REHAB/40824/2019 पर लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है –

क्र0 स0	प्रश्न	उत्तर
1	The proposal required to be submitted with detailed report on every points mentioned in MoEF&CC letter dated 20-05-2019	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 20.05.2019 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	Detailed comments of Chief Wildlife Warden are required to be submitted.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणी संलग्न है। (सलंग्नक–01)
3	FRA certificate uploaded online is undated.	एफ0आर0ए0 प्रमाण–पत्र में तिथि अंकित कर तद्नुसार प्रमाण–पत्र पुनः यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। एफ0आर0ए0 प्रमाण–पत्र की एक प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–02)
4	Incomplete documents for alternate area are uploaded online. Further, on perusal of KML file of the proposed area, it is seen that there is other available area adjoining the proposed area which is having less number of trees than that of the proposed area.	खाण्ड गांव विस्थापन फेस–1 में 26 है0 वन भूमि पूर्व में आवंटित की गई है, इसी क्षेत्र में शेष बची वन भूमि पर ही अतिरिक्त 10 परिवारों को बसाया जाना उचित है।
5	Bar chart submitted seems incorrect.	संशोधित बार चार्ट अतिरिक्त सूचना में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। बार चार्ट की प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–03)
6	It is seen that the dimensions mentioned in the land schedule does not match with the dimensions given in layout plan.	संशोधित लैण्ड शैड्यूल की प्रति अतिरिक्त सूचना में ऑनलाईन अपलोड कर गई है। लैण्ड शैडयूल की एक प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–04)
7	Geologist report not found uploaded/ submitted.	भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना में ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। (सलंग्नक–05)

क्र0 स0	प्रश्न	उत्तर
8	Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion is not filled online at para 4, Part II.	आपके स्तर से की जानी है।
9	In Site Inspection Report of DFO, no comments have been given against para 5.2.	आपके स्तर से की जानी है।
10	Part V uploaded online is not clear as well as incomplete name of the proposal is mentioned.	शासन स्तर से अपेक्षित है।
11	Area proposed for diversion is written as 2.4 ha. but in the administrative approval submitted with the proposal 1.885 ha. area is left out for rehabilitation. As per the enclosed guidelines, the extent of land proposed to be de-reserved/de-notified for resettlement shall not be more than the extent vacated by the settlers.	वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शा0 सं0 3719/X-2-2016-12(26)/2002 दि0 04.11.2016 के पैरा-2 के अनुसार वर्ष 2009 के अनुसार में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव-03 के मूल विस्थापित परिवारों को उनकी निजी भूमि के बराबर देहरादून वन प्रभाग के लालपानी कक्ष सं0-02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पैरा-3 के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या-02 में प्रस्तावित 2.4 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव नियमानुसार ऑनलाईन अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आवंटित 2.4 है0 के सापेक्ष 1.8850 है0 भूमि विस्थापित होने वाले परिवारों हेतु एवं शेष 0.515 है0 भूमि अन्य सुविधाओं हेतु प्रदान की गई है।

अतः प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी0के0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

संलग्नक - 01

राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्यजीव कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्डगांव–03 के 10 अतिरिक्त परिवारों के विस्थापन हेतु ऑनलाईन अपलोड प्रस्ताव सं0 FP/UK/REHAB/40824/2019 पर टिप्पणी।

शासनादेश सं0 3719/X–2–2016–12(26)/2002 दिनांक 04.11.2016 के क्रम में चीला–मोतीचूर कोरिडोर पुनर्स्थापना के संबंध में निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, के पत्रांक 2731/12–1 दिनांक 28.12.2019 द्वारा दिये गये तथ्यों के अनुसार खाण्डगांव–03 के विस्थापन से चीला–मोतीचूर महत्वपूर्ण वन्यजीव कोरिडोर के रूप में विकसित होगा, जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग को जोड़ने का कार्य करेगा। यह कोरिडोर वन्यजीवों (विशेष रूप से हाथी एवं बाघों) के स्वछन्द एवं निर्बाध आवागमन एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु खाण्डगांव–03 के 10 अतिरिक्त परिवारों के विस्थापन की प्रबल संस्तुति की जाती है।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 324 /121 **दिनांक, देहरादून** 28 **जुलाई, 2020**

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून को उनके पत्रांक 364/12–1 दिनांक 27.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

27/7/20

संलग्नक - 02

प्रारूप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

From-I
(For linear projects)
Government of Uttarakhand office of the district Collector **Dehradun**

No. Memo Dated. 04/06/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the ministry of environment and forests (MOEF), government of India's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **2.40** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajaji National Park** (Name of user agency) for **Rehabilitation** of **outstees** of **Khand Goan -3** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Lalpani Block 2** village (s) in rishikesh tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.40 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee are enclosed as annexure ..... to ....
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it
(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
देहरादून

From-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand office of the district Collector **Dehradun**

No. Memo Dated. 04/06/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), government of India's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **2.40** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajaji National Park** (Name of user agency) for **Rehabilitation** of **outstees** of **Khand Goan -3** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Lalpani Block 2** village (s) in **rishikesh** tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.40 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee are enclosed as annexure ... to .... annexure .....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their having understood the purpose and details of proposed diversion a copy of certificate issued by the gram sabha of .... Villages (s) is enclosed as annexure ..... to annexure .....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion and decisions of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

(g) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it

(h) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official stamp of the District Collector)

2-(2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dweller (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. S A Murugesan I.A.S. deputy commissioner Dehradun on dated 04/06/2019 at time ..... at ..... in which application claiming right in **Lalpani Block-2** area measuring **2.4 Hectors** forest land for the construction of **Rehabilitation** under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dehradun** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

Place Dehradun

Dated 04/06/2019

Deputy Commissioner cum Chairman

जिलाधिकारी

देहरादून

District Level Committee

कार्यालय

जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

परियोजना का नाम :– राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 04/06/19 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें ऋषिकेश स्थित लालपानी कक्ष सं0 2 में 2.40 है0 भूमि राजाजी नेशनल पार्क में प्रस्तावित हाथी कॉरीडोर से प्रभावित विस्थापितो हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की गयी है, जिसमें कि गैर वानिक कार्य हेतु राजाजी नेशनल पार्क को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्तभूमि की अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

(जीत सिंह रावत)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।

(राजीव धीमान)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

(एस0 ए0 मुरुगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रारूप –30.2

परियोजना का नाम :– राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधियियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत 2.40 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.0 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.40 है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ऋषिकेश) की दिनांक 24/5/19..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक श्री प्रेमलाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	अधिकारी नाम	पदनाम	समिति में पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री प्रेमलाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री बी0 बी0 मर्तोलिया	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री महेश प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव	
4	श्री राकेश सिंह	पार्षद, नगर निगम ऋषिकेश	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेत परियोजना हेतु 2.40 है0 आरक्षित वन भूमि राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये

जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन के अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी **ऋषिकेश** द्वारा जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्धं में ग्राम सभा/नगर निगम द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **ऋषिकेश** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राजाजी राष्ट्रीय** पार्क परियोजना के निर्माण हेतु **2.40 है0** वन भूमि **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किय जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :- ऋषिकेश
जनपद :- देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून......... को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :- ऋषिकेश
जनपद :- देहरादून

2(6)

प्रारूप –30.3

परियोजना का नाम :– राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
नगर निगम का नाम ऋषिकेश
तहीसल ऋषिकेश जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 2.40है0 आरक्षित वन भूमि 0.0 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि 0.0 है0, वन पंचायत भूमि 0 है0) अर्थात कुल 2.40है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर निगम ऋषिकेश द्वारा दिनांक 14/5/19 को सम्पन्न नगर निगम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि खाण्ड गांव–3 के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रभाकर शर्मा (सोनू)
पार्षद
नगर निगम ऋषिकेश

विजय बडोनी
पार्षद वार्ड नं0 33
गीतानगर, ऋषिकेश

भगवान सिंह पंवार
पार्षद
नगर निगम, ऋषिकेश

हस्ताक्षर
राकेश सिंह
पार्षद वार्ड न0–12
नगर निगम, ऋषिकेश

श्रीमति रीना शर्मा
पार्षद
नगर निगम ऋषिकेश

Poshpa mishra (ward No-1)

पार्षद वार्ड न0 27

Ajit Singh
N0-16

मनीष बनवाल
पार्षद
नगर निगम, ऋषिकेश

(अनीता ममगाई)
महापौर
ऋषिकेश

प्रपत्र–30.4

दिनांक–14/5/19 को नगर निगम की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर निगम–ऋषिकेश

क्रमांक	नगर निगम मे उपस्थित वरिष्ठ नगर वासियो के नाम		हस्ताक्षर
1	राकेश सिंह	9412050345	
2	नरेन्द्र सिंह भण्डारी	8630568243	
3	नीरज अग्रवाल	9412030409	
4	बुद्धि सिंह रावत	9897309303	
5	विक्रम सिंह भण्डारी	8273085962	
6	दिलीप अवस्थी	8954810303	
7	रमेश चौहान	9149228223	
8	प्रदीप कुडियाल	9897965844	
9	श्रीमती नीतू अग्रवाल	8126606404	
10	अनूप वर्मा	8534860158	
11	विजय पाल सिंह	9627484318	
12	धीरज डोभाल	9927602402	
13	गौरभ मिश्रा	8630905363	
14	अंकित सैनी	8077629327	
15	नवीन गुप्ता	9927090552	
16	वृजनन्दन कोठियाल	9412055707	
17	श्रीमती रीता भण्डारी	9412439696	
18	राजेश नौटियाल	9412352532	
19	श्रीमती बीना	9412050345	
20	जगदीश थपलियाल	9412055450	
21	राजेन्दु कुमार पन्त	9897879330	
22	हिम्मत सिंह	9412953982	
23	श्रीमती जलमा देवी		

संलग्नक-03

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0-2 में भूमि आवंटन के संबंध में 2.4 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण।

बार चार्ट

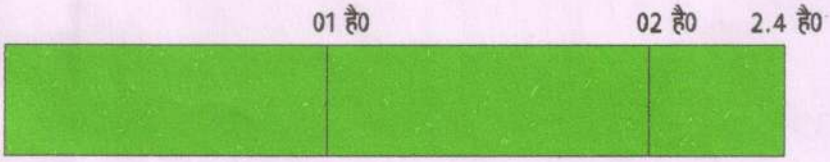

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	2.40
सिविल एवं सोयम वन भूमि	-	-
वन पंचायत भूमि	-	-
नाप भूमि	-	-
	योग	2.40

ह0/

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

प्रयोक्ता एजेंसी
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संलग्नक-04

योजना का नाम – जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष संख्या–2 में आवंटन के संबंध में।

लैण्ड शैडयूल

(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल
देहरादून	देहरादून वन प्रभाग	लालपानी कक्ष संख्या–2	160 मी0	150 मी0	2.40 है0

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून

निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

सेलग्नक - 05

कार्यालय नि० रा० टा० रि०
पंजिका क्रमांक 12775
पत्रावली संख्या 12—1
दिनांक 30-6-2020
..........आ० का० करें
D.M. ......आख्या देवें।
निदेशक

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सेवा में,

उप वन संरक्षक / उप निदेशक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

पत्रांकः 364 / भू०खनि०ई० / सं०नि० / रा०रा०पार्क / 2020–21 दिनांक 25 जून,2020

विषयः— **राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला—मोतीचूर कोरीडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव—3 के परिवारों के ऋषिकेश रेंज के लालपानी क०सं०—2 में विस्थापन हेतु चयनित 2.4 है० वन भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में भू—वैज्ञानिक की आख्या उपलब्ध कराने बाबत्।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4419 / 12—1, देहरादून दिनांक 18.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत स्थल की स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की भूगर्भीय जांच कर उपयुक्तता के सम्बन्ध में अवगत कराने का अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 185 / भू०खनि०इ० / 2020—21 दिनांक 29 मई, 2020 के द्वारा स्थल के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, उप वन संरक्षक / उपनिदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या 4719 / 12—1, देहरादून दिनांक 08 जून, 2020 के द्वारा सूचनायें उपलब्ध करायी गयी तदोपरान्त क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु दिनांक 22.06.2020 की तिथि निर्धारित की गयी। प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.06.2020 को श्री स्वयंवर दत्त काण्डपाल, वन दरोगा एवं श्री देवेन्द्र सिंह, वीट सहायक की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। प्रश्नगत स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

D.M.

<u>संलग्नकः— भू—गर्भीय निरीक्षण आख्या।</u>

24/06/20

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः / भू०खनि०ई० / सं०नि० / रा०रा०पार्क / 2020—21 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक

राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरीडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों के ऋषिकेश रेंज के लालपानी क0सं0–2 में विस्थापन हेतु चयनित 2.4 है0 वन भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

उप वन संरक्षक/उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या 4419/12–1 देहरादून, दिनांक 18.05.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त प्रश्नगत स्थल की स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की भूगर्भीय जांच कर उपयुक्तता के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 185/भू0खनि0इ0/2020–21 दिनांक 29 मई, 2020 के द्वारा स्थल के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उक्त पत्र के क्रम में उप वन संरक्षक/उपनिदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या 4719/12–1, देहरादून दिनांक 08 जून, 2020 के द्वारा सूचनायें उपलब्ध करायी गयी। तदोपरान्त क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु दिनांक 22.06.2020 की तिथि निर्धारित की गयी। प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.06.2020 को श्री स्वयंवर दत्त काण्डपाल, वन दरोगा एवं श्री देवेन्द्र सिंह, वीट सहायक की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया।

प्रश्नगत स्थल ऋषिकेश–हरिद्वार मोटर मार्ग पर निगम रोड़ से लगभग 2.5 किमी0 रोड़ के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। जोकि लालपानी कक्ष संख्या 02 के अन्तर्गत पड़ती है। मौके पर वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि चीला–मोतीचूर ऐलीफेन्ट कोरीडोर की पुनस्थापना के कारण खाण्डगांव–03 के प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु चयनित स्थल विशुद्धरूप से आरक्षित वन भूमि है जिसमें 2.4 है0 क्षेत्र प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाना है।

प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में सागौन के पेड़ तथा अन्य स्थानीय प्रजाती के वृक्ष विद्यमान है। स्थल एक समतल भू–भाग है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल दून–ग्रेवल्स के अन्तर्गत पड़ता है जहां पर लगभग 0.50 मी0 मिट्टी का मोटा आवरण एवं आवरण के उपरान्त विभिन्न चट्टानों के बोल्डर, कोबुल, पेबुल मिश्रित अवस्था में देखे गये हैं। स्थल के अन्तर्गत यथावत चट्टानों का पूर्णतय अभाव देखा गया है।

भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित क्षेत्र दूनवैली क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। दूनवैली को तीन भागों में बांटा गया है–

1. लघु हिमालय जोन।
2. सिनक्लाईनर मध्य जोन।
3. शिवालिक जोन।

प्रस्तावित स्थल सिनक्लाईनर जोन के अन्तर्गत आता है जो कि कोर्स क्लास्टिक फेन के कालान्तर में निक्षेपित होने से बना है जो कि दून ग्रेवल कहलाता है। सन्दर्भित स्थल में यंग दून ग्रेवल्स हैं।

प्रस्तावित कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों/सुझावों का अनुपालन करने की दशा में उक्त स्थल भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है:–

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं 1986 मे निहित प्राविधानों के अनुरूप समुचित अनुमति प्राप्त कर ली जानी आवश्यक होगी।
2. प्रस्तावित स्थल पर 0.5 मी0 सोयल कवर (Soil Cover) अवलोकित किया गया है, इसके पश्चात विभिन्न आकार के बोल्डर, कोबुल, पेबुल पाये जाते हैं। इसलिए स्थल पर निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व स्थल की भार ग्रहण क्षमता का आंकलन करवाया जाना आवश्यक होगा एवं तद्नुसार कार्यवाही की जानी होगी।
3. निर्माण कार्य के दौरान स्थल से निकलने वाले बोल्डर, कोबुल, पेबुल का वाणिज्यिक प्रयोग किये जाने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।
4. निर्माण स्थल के चारों तरफ पानी के निकास की समुचित व्यवस्था की जानी होगी।

24/06/20

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1- A proposal has been received by this office from- राजाजी टाईगर रिर्जव, देहरादून उत्तराखण्ड (under FCA -1980) of- **2.40 ha.** of forest land non- forestry purpose. The projects envisage the use of forest land for जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला– मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभाग ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी कक्ष संख्या–2 विस्थापित करने हेतु 2.40 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on **dated- 11.10.2019**

5.2- On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve forest- **2.40 ha.** **Yes**

इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के कुल 278 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

5.3- The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.-2 part- 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4- Weather any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.- **Nill**

5.5- Weather any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.- **Nill**

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.- **(✓)**

(a) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.- **(X)**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Project is recommended for acceptance. **Recommended in public interest.**

Place:- Dehradun
Date:- 11.10.2019

Name- Rajiv Dhiman
Designation–D.F.O.
Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून